

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 150] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 1972/आषाढ 9, 1894

No. 150] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 1972/ASADHA 9, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 30th June 1972

No. DRAWBACK/PN-62/72.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70—DBK published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971, with immediately effect.

For the existing Sub-Serial No. 4702 and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely :—

Sub-Serial No.	Description of goods.	Rates of drawback.
4702	Electronic valve/tube/transistor diodes for Radio /Wireless Receiving sets.	Brand rates to be fixed on an application from individual manufacturer/exporters.

सं० प्रतिभ्रदायगीपी०एन० 64/72.—मीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादशुल्क प्रतिभ्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राज-पत्र, भ्रमाधारण, दिनांक 25 भ्रगस्त, 1971 में प्रकाशित भ्रधिसूचना सं० 52/फ० सं० 602/2/70-प्र०भ्र०) के नियम 3 के भ्रधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिभ्रदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 भ्रक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रम सं० 2727 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित उप-क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:—

उप-क्रम सं०	माल का विवरण	प्रतिभ्रदायगी की दर
2726	'कैरिस्ट्रेप' रेगन के भ्रिन्न-भ्रिन्न चौड़ाई के कीते	2.13 रु० (केवल दो रुपये और तेरह पेसे) प्रति किलोग्राम अथवा 1.60 रु० (केवल एक रुपया और साठ पैसे) प्रति 1000 मीटर एक मिलिमीटर चौड़ाई पर, इनमें से जो भी कम हो ।

इन सार्वजनिक सूचना के लागू होते ही उपर्युक्त माल के सम्बंध में भ्रलग-भ्रलग निर्माता/निर्यात-कर्ता के लिए नियत की गई सभी ब्रैड दरें रद्द हो जायेंगी ।

एम० पंचप्पा,
प्रतिभ्रदायगी निदेशक ।